न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 18/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/118

1. जसकरण सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी चक 3 एमएसआर तहसील अनूपगढ़

—अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री अनिल गखड़, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 18/7/2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्र.सं. 35/2024 में पारित आदेश दिनांक 08.04.2024 जिसके द्वारा प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को अपीलाधीन भूमि चक 3 एमएसआर के प.नं. 309/437 मु.नं. 19 की कुल 4.884है. आराजीराज भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते हुए अप्रार्थी पर भू राजस्व का 50 गुणा कुल 1950 रूपये शास्ति आरोपित करते हुए काश्त फसल को निलाम करने तथा अप्रार्थी को भूमि पर से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिए गये हैं के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं।
2. अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की अपील पर बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी अपनी बहस में कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया हैं। चक 3 एमएसआर तहसील अनूपगढ़ का मु.नं. 309/436 व मु.नं. 309/437 की कुल 50 बीघा भूमि अपीलांट के दादा अजमेर सिंह को अस्थाई कृषि हेतु वर्ष 1972 में आवंटन किया गया था अपीलांट के दादा के देहान्त के बाद मु.नं. 309/436 की 25 बीघा भूमि का पुख्ता आवंटन अपीलांट के पिता को हो गया तथा मु.नं. 309/437 को रकबा राज दर्ज किया गया इस संबंध में अपीलांट द्वारा मा. राजस्व मण्डल राज. अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की जिस पर दिनांक 26.06.1995 को अपीलांट का प्रकरण रिमाण्ड किया गया जो उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन हैं। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हैं, अस्थाई काश्त पर अपीलार्थी के दादा को आवंटित भूमि का प्रकरण आज भी विचाराधीन हैं। राजस्व मण्डल द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलार्थी को पात्र माना गया हैं। पूर्व में भी धारा 22 राज.उप.अधि. के प्रकरणों की कार्यवाहियां स्थगित रखी गयी हैं। अपीलांट द्वारा मा. उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एसबी सिविल रिट पिटीशन 2617/2022 प्रस्तुत की थी जिसमें मा. न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2022 को निर्णय पारित कर उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ को छः माह में प्रकरण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु उपखण्ड अधिकारी द्वारा रकबा राज्य स्तर से डी नोटिफाई होने तक प्रकरण लम्बित रखा गया है। इस प्रकार से अपीलार्थी द्वारा भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया हैं। अपीलार्थी का कब्ज विधिक हैं। आलौच्य आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त करने हेतु निवेदन किया।
3. प्रत्यर्थी निवेदन किया कि अपीलाधीन भूमि राजस्व रिकार्ड में रकबा राज दर्ज हैं जिस पर अपीलार्थी द्वारा बतौर अतिक्रमी कब्जा कर फसल काश्त की गयी। अपीलार्थी द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रति पेश नहीं

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

जिला कलक्टर अनूपगढ़

की गयी। इसलिए अपीलार्थी को राजकीय भूमि पर अतिक्रमी घोषित करते हुए आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं जो विधिवत हैं। अपील अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

4. बहस वकील अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध राज. उप. अधि. की धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया और अपीलार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। अपीलार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब नोटिस पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 28.03.2024 पर अप्रार्थी वकील द्वारा प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली कर साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु अवसर प्रदान किया गया तथा दिनांक 08.04.2024 को आदेशिका पर अप्रार्थी अनुपस्थित, अप्रार्थी की ओर से साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये अंकित किया गया तथा प्रकरण में निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये गये जवाब नोटिस में भी मा. उच्च न्यायालय राजस्थान में प्रस्तुत रिट याचिका तथा मा. राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय का अंकन करते हुए प्रकरण उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष लम्बित होने के कारण नोटिस की कार्यवाही दाखिल दफ्तर करने व कार्यवाही ड्रोप करने हेतु निवेदन किया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया हैं कि अप्रार्थी द्वारा वर्णित भूमि के संबंध में किसी भी सक्षम न्यायालय के स्थगन आदि की प्रति पेश नहीं की। तथा अपीलार्थी को आराजीराज भूमि पर अतिधारी घोषित कर शास्ति आरोपित कर, फसल निलाम करने तथा अपीलार्थी को भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया हैं कि अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व दस्तावेज साक्ष्य, स्थगन आदि की प्रति प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया लेकिन अपीलार्थी की ओर से सक्षम न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन भूमि राजस्व रिकार्ड में रकबा राज दर्ज हैं जिसे स्वयं अपीलार्थी द्वारा स्वीकार किया गया हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजीराज भूमि पर बिना किसी प्राधिकार के फसल बिजाई करने के आधार पर राज.उप.अधि. की धारा 22 के तहत कार्यवाही कर अपीलार्थी को भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये हैं। जो विधिसम्मत हैं। न्यायालय की राय में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं हैं। अपील खारिज योग्य हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक .....18/7/24..... को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ़ **I.A.S**
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़.